नगर पंचायत ज्वाली, तहसील ज्वाली , जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 15-09-2015 से 31-03-2018

भाग-एक

1 (क) प्रारम्भिक

हिमाचल प्रदेश सरकार, शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या:UD-A(1)-1/2014 Dt. 15-09-15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ज्वाली को भंग करके नगर पंचायत ज्वाली का गठन किया गया।

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376 /81 - फिन (एल०ए०) -खण्ड – iv, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत ज्वाली के लेखों का अंकेक्षण कार्य किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि 15.09.2015 से 31.3.2018 तक के दौरान नगर पंचायत ज्वाली के प्रधान व प्रशासक / सचिव निम्नानुसार कार्यरत थे:-

(i) प्रधान

क्र० सं०	नाम	पद नाम	अवधि
1	श्री मनीश चौधरी	प्रशासक (उपमंडलाधिकारी,ज्वाली)	15-09-2015 से 16-02-16 तक
2	श्रीमती पुष्पा देवी	प्रधान	17-02-2016 से 31-03-18 तक

(ii) प्रशासक/सचिव

क्र० सं०	नाम		अवधि
1	श्री मनीश चौधरी	प्रशासक (उपमंडलाधिकारी)	15-09-2015 से 25-09-17 तक
2	श्रीमती कंचनबाला	सचिव	26-09-2017 से 31-3-18 तक

(ग) गम्भीर अनियामितताओं का सार

नगर पंचायत ज्वाली के अवधि 15-09-2015 से 31-03-2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियामितताओं का सार निम्नलिखित है:-

क्रम सं0	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा सं0	राशि (₹) लाखों में
1	अनुदानों की राशि उपयोग हेतु शेष	6 (ख)	443.10
2	जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण हेतु न प्रस्तुत करना	6 (ग)	163.08
3	गृह कर की वसूली न करना	7 (क)	पैरे में वर्णित विवरणानुसार
4	मोबाइल टावरों के स्थापना/नवीनिकरण शुल्क की वसूली न करना	8	पैरे में वर्णित विवरणानुसार
5	विद्युत उपयोग कर की वसूली न करना	9	पैरे में वर्णित विवरणानुसार

6	नगर पंचायत में विलय ग्राम पंचायतों की सम्पतियों का अधिग्रहण न करना	10	पैरे में वर्णित विवरणानुसार
7	निर्माण कार्यों में विचलन राशि को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना ठेकेदारों को अनियमित भुगतान	13	2.81
8	निर्माण कार्यों को समय पर पूर्ण न करने के कारण सविंदाकार से दण्ड की वसूली न करना	15	0.31
9	निर्माण कार्यों बिलों से रॉयल्टी ,बिक्रीकर व लेबर सेस की कटौती राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा न करना	16	2.80

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर पंचायत ज्वाली के लेखाओं अवधि 15-09-2015 से 31-03-2018 तक का प्रथम अंकेक्षण कार्य श्री मुकेश कुमार स्नेही, सहायक नियन्त्रक व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ट लेखा परीक्षक द्वारा अवधि 30-10-2018 से 19-11-2018 तक के दौरान नगर पंचायात के ज्वाली स्थित कार्यालय में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2015-16	शून्य	शुन्य
2016-17	11/2016	07/2016
2017-18	03/2018	01/2018

प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सचिव नगर पंचायत ज्वाली द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। नगर पंचायत द्वारा प्रदान की गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना प्रदान न करने के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा|

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर पंचायत के अवधि 15-09-2015 से 31-03-2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹17400 आँका गया। सचिव नगर पंचायत ज्वाली से अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 303 दिनांक 19-10-2018 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 हिमाचल प्रदेश को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुरोध किया गया I नगर पंचायत द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को पी० एन० बी० ज्वाली के बैंक ड्राफ्ट संख्या 803631 दिनांक 01-12-2018 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा विभाग, शिमला-9 के नाम पंजीकृत डाक से भेज दिया गया है I

4 वितीय स्थिति

नगर पंचायत ज्वाली के लेखाओं अवधि 15.09.2015 से 31.03.2018 तक के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट -क** पर भी दिया गया है : –

वितीय वर्ष	शीर्ष	आरम्भिक शेष	आय	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	स्वंय स्त्रोत	0	0	0	0	0
	अनुदान	0	10000000	10000000	0	10000000
	जोड़	0	**10000000**	**10000000**	**0**	**10000000**
2016-17	स्वंय स्त्रोत	0	1123897	1123897	62824	1061073
	अनुदान	10000000	25572193	35572193	2739702	32832491
	जोड	**10000000**	**26696090**	**36696090**	**2802526**	**33893564**
2017-18	स्वंय स्त्रोत	1061073	2217506	3278579	117595	3160984
	अनुदान	32832491	25046606	57879097	13568601	44310496
	जोड़	**33893564**	**27264112**	**61157676**	**13686196**	**47471480**

(क) दिनांक 31-03-2018 को बैंक में अन्तिम शेष का विवरण(परिशिष्ट-ख):---

खाता सं0	बैंक का नाम	राशि (₹)
0768001700016123	PNB LUBH	31641414
50062907945	KCCB JAWALI	13385029
100061197711	INDUSLAND BANK KANGRA	2530269
	CASH IN HAND	0
	TOTAL	**47556712**

दिनांक 31.318 को वितीय स्थिति व बैंक के अन्तिम शेष में अन्तर (₹47471480-47556712) = ₹85232

(ख) बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट-ख)

	विवरण	राशि (₹)
	दिनांक 31.318 को वितीय स्थिति/रोकड़ बही अनुसार अन्तिम शेष	47471480
जमा (i)	निम्नलिखित चैक भुगतान हेतु जारी किए गए परन्तु दिनांक 31-03-18 तक बैंक को भुगतान हेतु प्रस्तुतु नहीं किये गए	

दिनांक	चैक न०	फर्म का नाम	राशि (₹)
16-02-18	449618	मै० पब्लिकेशन एडवरटाइजर	1680
31-03-18	105681	बी०एस०एन० एल०	1141
31-03-18	105682	मै० प्रवीन न्यूज़ एजेंसी	280
31-03-18	105683	मै० शर्मा बिज़नस प्रोसेसिंग सेंटर	2090
31-03-18	105684	मै० हिमाचल दस्तक मीडिया	5000

31-03-18	105685	मै० दैनिक सवेरा	2000	
31-03-18	105686(RTGS)	मै० जय दुर्गा स्वयं सहायता समूह	10000	
31-03-18	105686	मै०जय ज्वाला स्वयं सहायता समूह	10000	
31-03-18	105686	मै० नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह	10000	
31-03-18	105686	मै० शीतला स्वयं सहायता समूह	10000	
31-03-18	105686	मै० शक्ति स्वयं सहायता समूह	10000	
31-03-18	105686	मै० वैष्णो स्वयं सहायता समूह	10000	
31-03-18	105686	मै० शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह	10000	
31-03-18	105686	मै० धीमान कार श्रंगार	2944	
		जोड़	**85135**	**(+) 85135**
(ii) दिनांक 31.3.18 को रोकड़ बही व बैंक खाते के अन्तिम शेष में समायोजन हेतु शेष अन्तर				**(+) 97**
दिनांक 31.3.18 को बैंक खातों का अन्तिम शेष (उक्त क में वर्णित विवरणानुसार)				**47556712**

(ग) अंकेक्षण में पाया गया कि बैंक समाधान विवरणी में रोकड़ बही व बैंक खातों में ₹97 का अन्तर दर्शाया गया था जिसका कारण स्पष्ट नही किया गया था I अतः इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित अन्तर का समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए l

5 **आधिक्य (surplus) निधि राशि को सावधि जमा में निवेश न करना**

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि दिनांक 31-03-18 को **परिशिष्ट-ख** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ₹475.57 लाख की राशि बैंक बचत खातों में शेष जमा थी व सचिव नगर पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार किसी भी राशि का सावधि जमा में निवेश नहीं किया गया था जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है क्योंकि यदि उक्त जमा राशि में से नगर पंचायत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधिक्य (Surplus) निधि को सावधि जमा में निवेश किया होता तो ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित की जा सकती थी l अत: परामर्श दिया जाता है कि कुशल वित्तीय प्रबन्धन से आधिक्य (Surplus) निधि को

सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ब्याज के रूप में अधिक से अधिक आय अर्जित की जा सके और नगर पंचायत के विकास कार्य भी प्रभावित न हो l

6 अनुदान

(क) वितीय स्थिति

अंकेक्षण अवधि 15-09-2015 से 31-03-2018 तक विभिन्न संस्थाओं से नगर पंचायत को प्राप्त अनुदान राशियों की वितीय स्थिति निम्नानुसार है जिसका विस्तृत विवरण इस प्रतिवदेन के **परिशिष्ट –(ग)** पर भी दिया गया है|

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियां (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2015-16	0	10000000	10000000	0	10000000
2016-17	10000000	25572193	35572193	2739702	32832491
2017-18	32832491	25046606	57879097	13568601	44310496

(ख) अनुदानों की राशि ₹443.10 लाख उपयोग हेतु शेष

अंकेक्षण को **परिशिष्ट -(ग)** के अनुसार उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2018 को गत वर्षों के अनुदानों के रूप में प्राप्त राशियों में से **₹**44310496 व्यय/उपयोग हेतु शेष थे। अनुदान राशियों का अत्याधिक मात्रा में शेष रहना व अनुदान राशियों को निश्चित समयावधि के भीतर निर्धारित उदेश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यय न कर पाने के कारण जहाँ एक ओर अनुदानों का अनावश्यक संग्रह हुआ है वहीं दूसरी तरफ लाभार्थी जनता को भी होने वाले लाभों से वंचित होना पड़ा है।

अत: उक्त वर्णित अनुदानों की राशि को समयवध व्यय/उपयोग न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं इसे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित उदेश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समयवध व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित ₹163.08 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट-(घ)** के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान अनुदानों में से **₹**16308303 का व्यय किया गया दर्शाया गया था परन्तु नगर पंचायत द्वारा न तो अनुदान रजिस्टर और न ही अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित जारी किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गए जिसके अभाव में अनुदानों से व्यय राशि की अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव न हो सकी। अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरा जैसे कि माह/दिनांक, बिल/वाउचर इत्यादि

अनुदान रजिस्टर में दर्ज करके अपेक्षित सम्पूर्ण अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 गृहकर

(क) दिनांक 31-03-2018 तक सर्वेक्षण उपरान्त गृहकर की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय-6 धारा-65 (1) के अनुसार "निर्माणों और भूमियों पर स्वामी द्वारा संदेय तथा ऐसे निर्माणों और ऐसी भूमियों के वार्षिक मूल्य का कम से कम 1% (एक प्रतिशत) व अधिक से अधिक 25% (पचीस प्रतिशत) की दर से नगर पालिका गृहकर अधिरोपित करेगी"। लेकिन जांच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत ज्वाली द्वारा अवधि 15-09-2015 से 31-03-2018 तक नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले गृह स्वामियों व दुकानदारों से सर्वेक्षण उपरान्त गृहकर की वसूली नहीं की जा रही थी जोकि उक्त वर्णित धारा - 65 (1) के प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण गम्भीर वितीय अनियमितता है I वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या :301 दिनांक 31-10-2018 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत ज्वाली के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाई गई थी जिसके प्रत्युतर में सचिव नगर पंचायत ज्वाली ने पत्र संख्या 499 दिनांक 17-11-18 द्वारा सूचित किया कि सर्वेक्षण उपरान्त गृह कर लगा दिया जाएगा। उतर संतोषजनक नहीं पाया गया कयोंकि लगभग तीन वर्ष का समय बीत जाने के उपरान्त भी गृह कर हेतु सर्वेक्षण करके वसूल न करना गम्भीर अनियमितता है| अतः हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय -6 धारा -65 (1) के अनुसार गृहकर की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सर्वेक्षण उपरान्त गृहकर की वसूली सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर की जानी सुनिश्चित की जाए, और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय -6 धारा -66 (i) के अनुसार नगर पंचायत द्वारा करों व फीस को अधिरोपित न करना

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय -6 धारा -66 (i) में वर्णित विभिन्न करों/फीस को नगर पंचायत अधिरोपित कर सकती है। लेकिन जांच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अवधि 09-09-2015 से 31-03-2017 तक नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले गृह स्वामियों व दुकानदारों से हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय-6 धारा-66 (i) में वर्णित विभिन्न करों/फीस को अधिरोपित नहीं किया गया जिससे स्पष्ट

होता है कि नगर पंचायत उक्त अधिनियम को अपने अधिकार क्षेत्र में लागू करके विकास करने हेतु उदासीन है। वर्णित प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या –300 दिनांक 31-10-2018 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत ज्वाली के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युतर में सचिव नगर पंचायत ज्वाली ने पत्र संख्या 499 दिनांक 17-11-18 द्वारा सूचित किया कि हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय -6 धारा-66 (i) में वर्णित विभिन्न करों/फीस में से कुछ करों/फीस को अधिरोपित कर लिया गया है तथा अन्य करों को भी सदन में पारित करवाने उपरान्त अधिरोपित कर लिया जायगा। उतर संतोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि लगभग तीन वर्ष का समय बीत जाने के उपरान्त भी हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय -6 धारा -66 (i) में वर्णित विभिन्न करों/फीस को नगर पंचायत क्षेत्र में अधिरोपित नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है | अतः हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय -6 धारा -66 (i) में वर्णित विभिन्न करों / फीस को अधिरोपित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 मोबाईल टावरों के स्थापना/नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करना

सचिव (आई० टी०) हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: डी० ई० वी० -(आई० टी०) 2005 /विविध दिनांक 22.08.2006 द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र में यदि मोबाईल कम्पनियां अपने टावर लगाती है, तो उनसे प्रति टावर ₹10,000 स्थापना शुल्क व ₹5000 प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क वसूल किया जाना आपेक्षित है तथा प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत नवीनीकरण शुल्क में 25% की बढ़ोतरी करनी अनिवार्य है | अंकेक्षण अधियाचना संख्या –302 दिनांक 01-11-18 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत ज्वाली से नगर पंचायत क्षेत्र में कितने मोबाईल टावर स्थित है, तथा मोबाईल टावरों के रूप में कितनी राशि प्राप्त की गई है इत्यादि बारे सूचना मांगी गई थी जिसके प्रतियुतर में सचिव नगर पंचायत ज्वाली ने पत्र संख्या 502 दिनांक 17-11-18 द्वारा सूचित किया कि नगर पंचायत में मोबाईल टावरों की संख्या का विवरण उपलब्ध नहीं है व मोबाईल टावरों का विवरण प्राप्त करने उपरान्त वसूली कर ली जाएगी| उतर संतोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि लगभग तीन वर्ष का समय बीत जाने के उपरान्त भी मोबाईल टावर कम्पनियों से देय शुल्क वसूली नहीं की गई है, जो कि एक गम्भीर वितीय अनियमितता है। अतः सचिव (आई० टी०) हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: डी० ई० वी० -(आई० टी०) 2005/विविध दिनांक 22.08.2006 के अनुसार मोबाईल टावर कम्पनियों से वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए मोबाईल टावर कम्पनियों से निर्धारित दरों पर स्थापना शुल्क व नवीनीकरण शुल्क की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए, और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 **विद्युत उपयोग कर की वसूली न करना**

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल० एस० जी० डी० (1) 9 /94 दिनांक 24-08-2000 के अनुसार नगर पंचायत के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विधुत बोर्ड द्वारा नगर पंचायत को भुगतान किये जाने का प्रावधान है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 300 दिनांक 31-10-2018 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत ज्वाली से अपेक्षित सुचना व अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया था, लेकिन सचिव नगर पंचायत ज्वाली ने अपने पत्र संख्या 499 दिनांक 17-11-18 द्वारा सूचित किया कि अवधि 15-09-15 से 31-03-18 तक के दौरान विद्युत उपयोग कर की वसूली विद्युत विभाग से नहीं की गई है जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सम्बन्धित विभाग से देय राशि की वसूली करके अपेक्षित अभिलेख/आंकड़े आगामी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक सत्यापना हेतु उपलब्ध करवाया जाने सुनिश्चित किए जाए|

10 **नगर पंचायत अधिसूचित क्षेत्र में विलय हुई ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित सम्पतियों का अधिग्रहण न करना**

निदेशक शहरी विकास के पत्र सं .UD-H(A)(4)-18/09-5972 दिनांक 14-06-16 के अनुसार नव गठित नगर पंचायत के अंतर्गत विलय हुई सभी ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित सम्पतियों को नगर पंचायत के अधीन लाने हेतु जिलाधीश काँगड़ा से अनुरोध किया गया था व जिलाधीश काँगड़ा ने अपने पत्र सं 1532 दिनांक 30-08-16 द्वारा इन सम्पतियों के अधिग्रहण हेतु एक कमेटी बनाई गई परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त कमेटी द्वारा वर्णित सम्पतियों का अधिग्रहण नहीं किया गया था इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना : 299 दिनांक 30-10-18 द्वारा सचिव, नगर पंचायत से अंकेक्षण को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में पत्र सं 500 दिनांक 17-11-18 द्वारा सूचित किया गया कि एक राजस्व विभाग के कानूनगो द्वारा इस सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार की जा रही है उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया क्यूंकि दो वर्ष व्यतीत होने पर भी अभी तक सम्पतियों का अधिग्रहण व तदोपरांत उचित उपयोग नहीं हो सका है जिससे नगर पंचायत को आय के रूप में हानि हो रही है। अत: परामर्श दिया जाता है कि प्राथमिकता के आधार पर सम्पतियों का अधिग्रहण शीघ्र अति शीघ्र करके उनका उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए l

11 **(क) गणना में त्रुटि के कारण, संविदाकार को ₹1755 का अधिक भुगतान**

कार्य का नाम :- R/M of path from the H/O smt.shanti devi towards the H/O raj rasoiya in ward no-1

संविदाकार का नाम :- श्री अरुण कुमार

अवार्ड पत्र संख्या:- 381 दिनांक: 27-09-17
माप पुस्तिका संख्या व पृष्ट संख्या :- 03 पृष्ट 4 व 5

उपरोक्त निर्माण कार्य बिल की जांच करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका में दर्ज रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार श्री अरुण कुमार को निम्न विवरणानुसार ₹1755 का अधिक भुगतान किया गया था| यह प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 304 दिनांक 15-11-2018 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत ज्वाली के ध्यानार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को प्राप्त नहीं हुआ l अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए : –

कार्य मद संख्या व नाम	**वास्तविक निष्पादित कार्य प्रमात्रा**	**माप पुस्तिका में दर्शाई गई निष्पादित कार्य प्रमात्रा**	**अन्तर**	**दर (₹)**	**अधिक भुगतान (₹)**
P/L of interlocking concrete block	697.76m2	700.46 m2	2.70 m2	650 per m2	1755

(ख) गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को ₹1561 का अधिक भुगतान

कार्य का नाम :- C/O C.C path from dehra road towards patwarkhana kehriyan the in ward no-5
संविदाकार का नाम :- श्री अंकुश कुमार
अवार्ड पत्र संख्या:- 386 दिनांक: 27-09-17
माप पुस्तिका संख्या व पृष्ट संख्या :- 02 पृष्ट 95

उपरोक्त निर्माण कार्य बिल की जांच करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका में दर्ज रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार श्री अरुण कुमार को निम्न विवरणानुसार ₹1561 का अधिक भुगतान किया गया था| यह प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 304 दिनांक 15-11-2017 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत ज्वाली के ध्यानार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया गया था, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को प्राप्त नहीं हुआ l अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए : –

कार्य मद संख्या व नाम	**वास्तविक निष्पादित कार्य प्रमात्रा**	**माप पुस्तिका में दर्शाई गई निष्पादित कार्य प्रमात्रा**	**अन्तर**	**दर (₹)**	**अधिक भुगतान (₹)**

Excavation of drain channel in earth work including dressing	51.59m3	60.51 m3	8.92m3	175 per m3	1561

12 अतिरिक्त मद(extra item)की दर का नियमानुसार निर्धारण न करने के फलस्वरूप ठेकेदार को ₹2054 का अधिक भुगतान

कार्य का नाम :- C/O path with drain from near makrahan school towards the H/O Sh.Puran Chand ward no-2 phase-1

सविदाकार का नाम :- श्री सेवा सिंह

अवार्ड पत्र सं :- 382 दिनांक 27-09-17

माप पुस्तिका सं :- 2 पृष्ठ 73 व 74

उपरोक्त निर्माण कार्य बिल की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित अतिरिक्त मद की दर निर्धारण व भुगतान schedule rate -2009 +overall premium की दर से किया जाना अपेक्षित था (टेंडर में same chapter की कोई मद उपलब्ध नहीं थी) किन्तु नियमानुसार अतिरिक्त मद की दर का निर्धारण न करने के कारण सविदाकर को निम्न विवरणानुसार **₹**2054 का अधिक भुगतान किया गया l यह प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 305 दिनांक 16-11-2017 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत ज्वाली के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को प्राप्त नहीं हुआl अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

Name of Extra item executed	**Quantity executed**	**Rate paid (₹)**	**Rate to be paid (schedule rate 2009 +32.93%premium) (₹)**	**Excess payment (₹)**
P/L reinforced c.c NP2(Burried conduits)cement motar 1.2	28.55mtr	750 per mtr	510.10+167.97=678 per mtr	21412.5 - 19358.89=2054

13 निर्माण कार्यों में निष्पादित प्रमात्रा विचलन (deviation) ₹2.81 लाख का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना ठेकेदारों को अनियमित भुगतान

निर्माण कार्य आबंटन पत्र की शर्त संख्या 9 के अनुसार निम्न निर्माण कार्य के लिए अधिकतम 10% विचलन निर्धारित किया गया था किन्तु अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि इन निर्माण कार्यों हेतु निर्धारित विचलन की प्रतिशतता से भी अधिक ₹281294 की कार्य प्रमात्रा अनियमित रूप से सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति बिना निष्पादित करवाई गई थी जबकि नियमानुसार कार्य निष्पादन से पूर्व सक्षम अधिकारी की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करना

अनिवार्य था l वर्णित प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 306 दिनांक 16-11-2017 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत ज्वाली के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को प्राप्त नहीं हुआ। अत:निम्न विवरणानुसार ₹281294 के विचलन का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए l

निर्माण कार्य का नाम	**कार्य आबंटन अवार्ड पत्र संख्या व दिनांक**	**माप पुस्तिका संख्या**	**आवार्ड राशि (₹)**	**वास्तविक कार्य निष्पादन राशि (₹)**	**विचलन राशि (₹)**	**विचलन प्रतिशतता**
C/O pavement from darkati road up to police station with drain in ward no. 3	383 dt. 27-09-17	3 page9,10	576445	733897	157452	27.31% (overall)
C/O C.C path from dehra ब road to patwarkhana kehriyan ward no.5	386 dt. 27-09-17	2 page 95,96	605588	729430	123842	20.45 % (overall)
				कुल जोड़	**281294**	

14 निर्माण कार्य बिलों से जल व बिजली प्रभार की कटौती न करने के कारण संविदाकारों को ₹0.75 लाख का सम्भावित अधिक भुगतान

निम्नलिखित निर्माण कार्य के भुगतान बिलों व सम्बन्धित माप पुस्तिका तथा अन्य अभिलेख में संविदाकार द्वारा जल व बिजली को क्रय करने व निर्माण कार्यो में प्रयोग करने सम्बन्धी कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था जिससे ऐसा संशय होता है कि ठेकेदारों द्वारा जल व बिजली के लिए किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया अपितु जल व बिजली का प्रयोग नगर पंचायत के स्त्रोतों से निशुल्क किया गया है तथा नगर पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के आवार्ड पत्र की शर्त सं: 5 के अनुसार ठेकेदारों से निशुल्क जल व बिजली का प्रयोग करने पर कुल लागत (gross bill) पर 1.5% की दर से जल व बिजली प्रभार की कटौती नहीं की गई है जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है I वर्णित अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 307 दिनांक 17-11-2017 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत ज्वाली के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को प्राप्त नहीं हुआ। अत: ठेकेदार के निर्माण कार्यो बिलों से नियमानुसार जल व बिजली प्रभार की कटौती न करने बारे विभागीय छानबीन उपरान्त या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित ₹75415 की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

क्रम सं0	**निर्माण कार्य का नाम**	**संविदाकार का नाम**	**माप पुस्तिका पृष्ठ संख्या**	**कुल बिल राशि (₹)**	**जल प्रभार कटौती राशि**

					@1.5 % (₹)
1.	P/F one no.16 mtr high mask light at lubh chownk	m/s ratwan light house ghumarwin	2page 82	384500	5769
2.	P/F one no.16 mtr high mask light at kehriyan chownk	m/s ratwan light house ghumarwin	2page 85	380525	5708
3.	R/M of path from Near the H/O smt. Shanti devi towards The H/O raj rasoiya In Ward no.1	Sh.Arun kumar	3 page 5	614758	9221
4	C/O path with drain Near makrahan School towards the H/O sh.puran chand Ward-2	Sh. Sewa singh	2 page 74	650517	9758
5	C/O pavement from Darkati road up to Police station with Drain ward-3	Sh. Manish kumar	3 page 10	733897	11008
6	R/M of path from the H/O Jaram singh towards link road ward -4	Sh. Sewa singh	2 page 72	435933	6539
7	C/O c.c path from dehra road towards patwarkhana kehriyan ward-5	Sh. Ankush kumar	2 page 95	729430	10941
8	R/M of path from civil hospital up to GSSS jawali (boys)ward-8	Sh.Arun kumar	2 page 73	636609	9549
9	R/M of path from hanuman mandir to shiv mandir ward-6	sh.Tirlok kumar	3Page 4	461471	6922
			कुल जोड़	**5027640**	**75415**

15 कार्यों आबंटन पत्र की शर्त के अनुसार निर्माण **कार्यों को समय पर पूर्ण न करने के कारण सविंदाकारों से देय दण्ड राशि ₹0.31 लाख की वसूली न करना**

नगर पंचायत द्वारा माह 07/16 व 01/18 के दौरान करवाए गए निर्माण कार्यों के बिलों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इन निर्माण कार्यों के आबंटन पत्र की शर्त 3 के अनुसार यदि संविदाकार निर्धारित समय अवधि में निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं करता है तो कार्य आबंटन की राशि का 1% प्रतिदिन व अधिकतम 10% के बराबर दण्ड शुल्क की वसूली की जानी अपेक्षित थी l किन्तु निम्नलिखित प्रकरणों में न तो नगर पंचायत द्वारा कार्यों

के निष्पादन हेतु समय सीमा में बढौतरी की स्वीकृति प्रदान की गई थी और न ही कार्य आबंटन की शर्त के अनुसार देय दण्ड राशि ₹31299 की वसूली की गई थी जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नगर पंचायत निधि की Cost पर संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया है। उक्त अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 308 दिनांक 17-11-2018 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत ज्वाली के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को प्राप्त नहीं हुआ। अत: वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित देय दण्ड राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

निर्माण कार्य का नाम	**सविदाकार का नाम**	**आबंटन पत्र सं व दिनांक**	**आबंटित राशि (₹)**	**कार्य पूर्ण करने की तय समय सीमा**	**कार्य समाप्ति /पूर्ण करने की तिथि**	**देय दण्ड राशि (₹)**
P/F one no.16 mtr high mask light at lubh chownk	M/S Ratwan Light House Ghumarwin	311 26-08-17	397425	2 माह	12-12-17	3974
P/F one no.16 mtr high mask light at kehriyan chowk	M/S Ratwan Light House Ghumarwin	317 26-08-17	397425	2 माह	12-12-17	3805
R/M of path from near the H/O smt. Shanti devi towards The H/Oraj rasoiya inWard no.1	Sh.Arun kumar	381 27-09-17	629563	2 माह	30-12-17	6296
C/O pavement from Darkati road up to Police station with Drain ward-3	Sh. Manish kumar	383 27-09-17	576445	2 माह	11-01-18	5764
C/O c.c path from dehra road towards patwarkhana kehriyan ward-5	Sh. Ankush kumar	386 27-09-17	605588	2 माह	04-01-18	6056
R/M of path from hanuman mandir to shiv mandir ward-6	Sh.Tirlok kumar	387 27-09-17	540406	2 माह	23-12-17	5404
					कुल जोड़	**31299**

16 सविंदाकारों के बिलों से रॉयल्टी, बिक्रीकर व लेबर सेस की कटौती राशि ₹2.80 लाख को सम्बन्धित विभागों में जमा न करना

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार सविंदाकारों के बिलों से रॉयल्टी बिक्रीकर व लेबर सेस के रूप में कुल ₹280208 की कटौती की गई थी परन्तु इन राशियों को सम्बन्धित विभागों में जमा नहीं किया गया था जो कि गम्भीर अनियमितता है क्यूंकि उक्त राशि विलम्ब से जमा करने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा दण्ड (Penality) प्रभारित की जा सकती है परिणामतः नगर पंचायत को अतिरिक्त राशि के भुगतान के रूप में वितीय हानि उठानी पड़ेगी। वर्णित प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 309 दिनांक 17-11-2018 के माध्यम

से सचिव नगर पंचायत ज्वाली के ध्यानार्थ आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लाया गया था लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को प्राप्त नहीं हुआ। अत: निम्न राशियों के अतिरिक्त इस प्रकार की अन्य राशियों को भी सम्बन्धित विभाग में शीघ्र अति शीघ्र जमा करना सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी दण्ड (Penality) से बचा जा सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए :-

कार्य का नाम	**सविंदाकार का नाम**	**संविदाकार का भुगतान राशि (₹)**	**बिलों से कटौती राशि**			
			रॉयल्टी (₹)	**बिक्रीकर (₹)**	**लेबर सेस (₹)**	**कुल राशि (₹)**
Cleanliness of N.P area	Sh.Rajesh Kumar	24000	---	----	240	240
Renovation of office jawali	--Do-	58685	---	1761	587	2348
Electric fitting in office jawali	M/S Raju electronics lubh	41120		1234	411	1645
R/M of path from near civil hospital up to Gsss jwali ward-8	Sh.Arun kumar	636609	7669	19098	6366	33133
R/M path from near H/O jaram singh towards link road ward-4	Sh.Sewa singh	435933	5780	8719	4359	18858
C/O path with drain from makrahan school towards the H/O puran w.no-2	--do--	650517	13897	13010	6505	33412
P/F one no 16 mtr high mask light at lubh chownk	M/S Ratwan light house	384500	---	7690	3845	11535
P/F one no 16 mtr high mask light at kehriyan chownk	--do-	380525	----	7611	3805	11416
C/O C.C path from dehra road towards patwarkhana w no.5	Sh.Ankush kumar	729430	25006	21883	7294	54183
R/M path from hanuman mandir to shiv mandir w.no-6	Sh.Trilok Singh	461471	4895	13844	4615	23354
R/M path from the H/O smt.shanti devi towards the H/O raj rasoiya w.no-1	Sh.Arun kumar	614758	10843	18443	6148	35434
C/O C.C pavement from darkati road up to police station with drain w no.3	Sh.Manish Singh	733897	25294	22017	7339	54650
		कुल जोड़	**93384**	**135310**	**51514**	**280208**

17 ठेकेदारों के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करना

आयकर अधिनियम की धारा 194(c) के अनुसार किसी भी ठेकेदार द्वारा अपनी सेवाए प्रदान करने के बदले एक बार में ₹30000 से अधिक व एक वित्तीय वर्ष में ₹75000 से अधिक की राशि के भुगतान के वर्ष में प्राप्त individual से 1% की दर से व firm से 2% की दर से आयकर की कटौती करना अपेक्षित था l

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि मै० ओम प्रकाश ज्वाली को सफाई के ठेके हेतु माह 07/16 के दौरान ₹75000 का भुगतान किया गया था परन्तु 1% की दर से स्त्रोत पर देय ₹750 की आयकर की कटौती नहीं की गई जोकि अनियमित है l अत: स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त वर्णित राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ठेकेदारों के भुगतान बिलों से आयकर की कटौती की जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए l

18 निविदाओं को pool करने सम्बन्धी अनियमितता

निम्न लिखित बिल/वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि इनके अन्तर्गत खरीद से सम्बन्धित निविदाओं पर दो फर्मों का दूरभाष न० एक ही था :-

वा.सं 21 माह 07/16 मै०छावड़ा ट्रेडर्स होशियारपुर, ₹34676 (स्टेशनरी)

(1)मै०छावड़ा ट्रेडर्स होशियारपुर	**98148-08679**
(2)मै० सचिदानन्द प्रिंटिंग प्रेस होशियारपुर	**यथोपरि**
(3) मै० फेवरेट प्रिंटिंग प्रेस होशियारपुर	**शून्य**

उक्त विवरण अनुसार निविदाओं पर दो फर्मों का दूरभाष न० एक ही होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि निविदाओं को pool किया गया है जिसके कारण वर्णित क्रय प्रकरण में बाजारी प्रतिस्पर्धा का वास्तविक लाभ नहीं उठाया गया है जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये l यह प्रकरण उच्च अधिकारीयों के विशेष ध्यान में इस आशय में लाया जाता है कि इस मामले की जाँच उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाये कि इस खरीद के साथ किसी प्रकार का अधिक भुगतान नहीं किया गया है l इसके अतिरिक्त उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने उपरांत नियमित करवाकर कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए l

19 बजट रजिस्टर का अनुरक्षण न करना

नगर पंचायत द्वारा व्यय से सम्बन्धित बजट रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था जबकि नियमानुसार बजट रजिस्टर का अनुरक्षण करना अनिवार्य है, ताकि स्वीकृत बजट के अनुसार ही व्यय पर नियन्त्रण रखा जा सके| अतः वितीय वर्ष 206-17 व 2017-18 का बजट रजिस्टर तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20 भण्डार का वस्तुगत प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

नगर पंचायत ज्वाली द्वारा भण्डार मदों का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रतिवर्ष नहीं करवाया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश वित नियम 140 के अन्तर्गत स्टोर व स्टॉक का प्रतिवर्ष/प्रत्यक्ष वस्तुगत सत्यापन किया जाना अपेक्षित है| अतः स्टोर व स्टॉक का भौतिक सत्यापन नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 लघु आपति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गई तथा लघु आपतियों का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था।

22 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है|

हस्ता / –
(हेम राज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.
फोन नं0 0177–26020881

पृष्ठांकन संख्याःफिन(एल0ए0) एच (2)सी–15(V)110/2019 खण्ड–1-402-403दिनांकः19.1.19 शिमला–171009,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा संख्याः 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत : 2 कार्यकारी अधिकारी, नगर पंचायत ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता/–
(हेम राज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.
फोन नं0 0177–26020881